

१ 26 NPO उपन। अतिप्रवृत्तगण
 मम अतिव्यवस्था उपन। गवाह महु
 गवाह की लामील बाट या महु
 लामील से नही लोरी इत बाबत
 थानाधिकारी को नोटिस दिया जाकर
 से पस्तीकरण लम्ब किया जावे।

गवाह की लामील प्रवृत्तिदेशाउ पाए
 भाउ ही लामील जारी की जावे
 लामील पर जाल स्थली से नोट
 अतिवृत्ति जावे कि उक्त लामील
 पुराना है लामील स्वयं पुरान
 से कराई जावे। पत्रवली वरत
 लामील अतिप्रवृत्त है दिनार

२।६-२.२६ को पुराना है १

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
 साँगोद जिला को

हामिल की-प्राप्त

मीन

गवाह की-प्राप्त